न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
16/81/2025	2025/179	05.02.2025	19.11.2025

1. सरकार जरिये तहसीलदार (भू0अ0) कठूमर, जिला अलवर राज०।

—प्रार्थी

बनाम

1. निहाल सिंह पुत्र मूलचन्द जाति गुर्जर निवासी खेडाकल्याणपुर तहसील कठूमर जिला अलवर राज0।

—अप्रार्थी

अपील प्रार्थना पत्र जेर नियम 14 (4)
भू—आवंटन नियम, 1970

उपस्थितः—

01—श्री दीपक मीणा, राजकीय अभिभाषक —वकील प्रार्थी

—:निर्णयः—

तहसीलदार कठूमर ने जरिये राजकीय अभिभाषक यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—14 (4) भूमि आवंटन नियम, 1970 जिसके द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में ग्राम खेडाकल्याणपुर तहसील कठूमर जिला अलवर की हाल आराजी खसरा न0 579/612 रकबा 0.38 है0 भूमि का आंवटन किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया।

प्रार्थी की ओर से विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना—पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि अप्रार्थी निहाल सिंह पुत्र मूलचन्द जाति गुर्जर निवासी खेडाकल्याणपुर तहसील कठूमर जिला अलवर के नाम ग्राम खेडाकल्याणपुर तहसील कठूमर जिला अलवर राज० में खसरा नम्बर साबिक 579 रकबा 03 बीघा 06 बीस्वा भूमि कृषि हेतु आवंटन होकर नामान्तकरण संख्या 296 पर गैर खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। जिसके हाल आराजी खसरा न0 579/612 रकबा 0.38 है0 दर्ज है।

ग्राम खेडाकल्याणपुर में हाल आराजी खसरा न0 579/612 रकबा 0.38 है0 दिंनाक 16.03.1992 को गैर सायल को आवंटित हुई थी। वर्तमान में जमाबन्दी सम्वत् 2074—2077 से लागातार खाता संख्या 175 पर गैर खातेदारी दर्ज रिर्कोड है। ग्राम खेडाकल्याणपुर मिसल बंदोबस्त सम्वत् 2028 के अनुसार साबिक 579 मिन रकबा 3 बीघा 06 बिस्वा के हाल आराजी खसरा न0 579/612 रकबा 0.38 है0 बना है।

आवंटी द्वारा आवंटन से प्रथम दो वर्ष में सम्पूर्ण रकबे पर काश्त नहीं कर आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई है। आवंटी का मौके पर कब्जा नहीं है एवं आवंटन शर्तो की पालना नहीं की है। अतः आवंटन आदेश निरस्त किया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से राजकीय अभिभाषक की बहास सुनी। अप्रार्थी बावजूद तामील अनुपस्थित। विद्वान राजकीय अभिभाषक ने तर्क दिया कि विवादित भूमि का आवंटन अप्रार्थी को कृषि कार्य हेतु किया गया था। परन्तु, पटवारी हल्का खेडाकल्याणपुर की रिपोर्ट दिनांक 13.11.2024 से यह स्पष्ट है कि मौके पर अप्रार्थी का कोई कब्जा नहीं है और न ही उन्होंने भूमि पर कोई कृषि कार्य (काश्त) किया है। आवंटन की मूल शर्त "स्वयं काश्त" की पालना नहीं की जा रही है। पटवारी हल्का खेडाकल्यापुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 13.11.2024 के अनुसार विवादित हाल हाल आराजी खसरा न0 579/612 रकबा 0.38 है0 भूमि वाके ग्राम खेडाकल्याणपुर मौके पर गैर खातेदार आवंटी का कब्जा नहीं है। राजस्थान भू—राजस्व (भूमि आवंटन) नियम, 1970 का मुख्य उद्देश्य भूमिहीन कृषकों को जीवनयापन हेतु भूमि देना है, बशर्ते वे उस पर स्वयं काश्त करें।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अप्रार्थी ने आवंटन की शर्तों का उल्लंघन किया है। वे विवादित भूमि पर न तो स्वयं काश्त कर रहे हैं और न ही उनका मौके पर कब्जा पाया गया है। भूमि का उपयोग उस उद्देश्य (कृषि) के लिए नहीं किया जा रहा है जिसके लिए राज्य सरकार ने इसे आवंटित किया था। अतः प्रार्थी (तहसीलदार) का प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

अ[illegible]रिक्त [illegible] (प्रथम)
[illegible]

अतः प्रार्थी, तहसीलदार कठूमर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन) नियम, 1970 स्वीकार किया जाता है और ग्राम खेडाकल्याणपुर, तहसील व जिला अलवर स्थित हाल आराजी खसरा न0 579/612 रकबा 0.38 है0 भूमि का आवंटन, जो अप्रार्थी/आवंटी (निहाल सिंह पुत्र मूलचन्द) के पक्ष में किया गया था, उसे तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। उक्त भूमि को अप्रार्थी के नाम से खारिज कर पुनः सिवायचक (राजकीय) भूमि के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 19.11.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)